कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0

संख्या : C-76/मु0अ0(मध्य)/स्थायीआदेश दिनांक : 05, अगस्त, 2020

स्थायी आदेश सं0–01/2020

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में नहरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले विभिन्न प्रकृति के कार्यों हेतु धनराशि की सीमायें कार्यालय ज्ञाप संख्या–3270/पु0न0एवं बां0/बी–1/जन0 दिनांक 31 अगस्त, 1995 द्वारा निर्धारित की गयीं थीं। अनुरक्षण मरम्मत मद के अन्तर्गत सिल्ट सफाई का उपमद अलग हो जाने एवं उत्तराखण्ड के विभाजन उपरान्त प्रदेश में पर्वतीय नहरें न रह जाने के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचारोंपरान्त अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में सिल्ट सफाई के अतिरिक्त आवंटित धनराशि के प्रयोग हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप को अतिकमित करते हुये तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

1– वार्षिक अनुरक्षण (A.R.) मद – प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वार्षिक अनुरक्षण मद में विभिन्न नहर प्रणालियों हेतु प्राविधानित धनराशि को सीधे क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को आवंटित किया जायेगा। यह धनराशि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अपने नियंत्रणाधीन खण्डों को उनके स्वीकृत नार्मल प्राक्कलन से सिल्ट सफाई की अनुमानित धनराशि घटाते हुये शेष राशि के अनुपात में यथाशीघ्र आवंटित की जायेगी।

2– विशेष मरम्मत (S.R.) मद – विशेष मरम्मत मद में विभिन्न नहर प्रणालियों हेतु प्राविधानित धनराशि के आवंटन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता विभिन्न खण्डों की स्वीकृत प्राक्कलनों के विरुद्ध मॉग का समुचित परीक्षण कर खण्डवार मॉग प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं की मॉग के औचित्य व धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विशेष मरम्मत मद में विभिन्न खण्डों हेतु धनराशि विनिर्दिष्ट करते हुये क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को धनावंटन किया जायेगा जिसे वे यथाशीघ्र खण्डों आवंटित करेंगे तथा आवंटन की प्रति मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जायेगी। विशेष मरम्मत मद में आवंटित धनराशि के खण्डों द्वारा व्यय हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाते हैं–

क्र0सं0	मद	प्रतिशत व्यय			अभ्युक्ति
		ग्रेविटी नहर प्रणाली	जलाशय पोषित नहर प्रणाली	पम्प नहर प्रणाली	
1	हैड वर्क्स(बॉध व बैराज)	10	20	15	प्रत्येक मद में निर्धारित व्यय ±10 प्रतिशत के विचलन तक सीमित रखा जायेगा
2	नहरों का सुदृढ़ीकरण	15	15	15	
3	पक्के कार्यों की मरम्मत/पुनर्स्थापना	25	25	25	
4	नहरों के रेगुलेटरों का रखरखाव व मरम्मत	10	10	10	

5	भवनों का रखरखाव व मरम्मत	10	10	10	प्रत्येक मद में निर्धारित व्यय ±10 प्रतिशत के विचलन तक सीमित रखा जायेगा
6	वाहनों का रखरखाव व मरम्मत	5	5	5	
7	अन्य कच्चे प्रकृति के कार्य	25	15	20	

किसी खण्ड में हैडवर्क्स का कार्य नहीं होने पर इस मद की कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि पक्के कार्यों के अनुरक्षण/मरम्मत पर व्यय की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

वी0के0 निरंजन
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या : C-76/मु0अ0(मध्य)/स्थायीआदेश/तदिनांक 05.08.2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ समस्त मण्डलों/खण्डों को इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति अनुपालनार्थ अवश्य उपलब्ध करा दें।

05/8/2020
(डी0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता (मध्य)